न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 265/2020

निर्णय दिनांक :– 05.10.2023

उनवानी दावा :

1. प्रकाशचन्द पुत्र राजूलाल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. बिलाल अहमद पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कालू पुत्र भैरू जाति माली उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. फूला पत्नि स्व0 भैरू जाति माली उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. भंवरलाल पुत्र भैरू जाति माली उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. महावीर पुत्र रतना जाति माली उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रतनी पुत्री माधो जाति माली उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. राजेन्द्र पुत्र रतना जाति माली उम्र बालिंग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. लाली पत्नि स्व0 दुर्गा जाति माली उम्र बालिंग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. शिवराज पुत्र रतना जाति माली उम्र बालिंग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सुखलाल पुत्र माधो जाति माली उम्र बालिंग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. सुरेश पुत्र दुर्गा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री प्रकाश चन्द जैन
श्री विरेन्द्र जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10

प्रार्थना पत्र अधारा 251 ए राज०टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 687 खसरा नम्बर 3787 रकबा 1.36 है0 खसरा नम्बर 5419/3785 रकबा 0.04 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.40 है0 वाके ग्राम देवली गांव पटवार हल्का देवली गांव तहसील देवली जिला टोक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी भूमि खसरा नम्बर 3787 में आने जाने का रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 5419/3785 से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 10 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3786 मे होते हुये है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी भूमि खसरा नम्बर 3787 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया है तथा उक्त रास्ते से

गांव

प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत पर आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3786 में से पूर्व दक्षिण कोने पर 20 फीट चोड़ा व 30 फीट लम्बा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3787 पर जाकर काश्त कर सके जिसकी कीमत प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र अधारा 251 ए आर. टी. एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 3787 पर आने जाने के लिये प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 5419/3785 से अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 10 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3786 मे से पूर्वी दक्षिणी कोने पर 20 फीट चोड़ा व 30 फीट लम्बा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार देवली से रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है:– प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 30 फीट तथा चौडाई 20 फीट अर्थात कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट यानि 55.74 वर्ग मी0 होगा। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 891091 रू. / है0 है, जिसकी एक गुना राशि 4972/– रू0 होगी तथा दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 9044/– रुपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है एवं मौके पर भूमि सिंचित है तथा आबादी से दूर स्थित है तथा गणेश रोड से 900 मीटर दूर स्थित है। प्रार्थी ख. नं. 3786 में से रास्ता चाहता है जिसे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया है जिसका नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़ आदि नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस एवं डीएलसी दर की छायाप्रति के श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस से पूर्व पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें तहसीलदार रिपोर्ट में डिस्पेच नम्बर व दिनांक नहीं है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार देवली को पत्र लिखा गया।

तहसीलदार देवली ने बहस के दोरान बताया कि माननीय न्यायालय को भेजी गई रिपोर्ट में सहवन से डिस्पेच नम्बर व दिनांक लिखने से रह गया। तहसीलदार ने ऑफिस कॉपी की सत्यापित छायाप्रति पेश की जिसे पत्रावली में संलग्न किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है।

अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख. नं. 3787 रकबा 1.36 है0 व ख. नं. 5419/3785 रकबा 0.04 है0 मे कृषि कार्य के लिए जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट/जवाब अनुसार भी प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 3787 रकबा 1.36 है0 व ख. नं. 5419/3785 रकबा 0.04 है0 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व लाल स्याही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली, तहसील देवली के ख. नं. 3787 रकबा 1.36 है0 व ख. नं. 5419/3785 रकबा 0.04 है0 में काश्तकारी कार्य हेतु आने जाने के लिए ख. नं. 3786 में चौडाई 20 फीट एवं लम्बाई 30 फीट अर्थात कुल क्षैत्रफल 600 वर्ग फीट यानि 55.74 वर्ग मीटर, होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 8,91,891/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल क्षैत्रफल 55.74 वर्गमीटर के लिए डी.एल.सी दर से एक गुना राशि 4972 रूपये के अनुसार दुगुनी प्रतिकर राशि 9944/– रूपये बनती है लेकिन वर्तमान समय में डी.एल.सी में परिवर्तन की संभावना होने से तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से कुल क्षैत्रफल 600 वर्ग फीट यानि 55.74 वर्ग मीटर के लिए पुनः गणना कर, जमा करे प्रेषित नक्शा ट्रेस व रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक खाते में गै. मु. रास्ता अमल दरामद करे, मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को उसके हिस्से अनुसार संदाय करे। पालना रिपोर्ट मय रिकॉर्ड, निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने के बाद 15 कार्यदिवस में न्यायालय में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय आज दिनांक 05.10.2023 को सुनाया गया।

05/10/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली